भारत सरकार

वित मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1511**

(जिसका उत्तर सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

**विमुद्रीकरण के पश्चात् नकली करेंसी**

**1511. श्री रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला उर्फ रवि किशनः**

**श्री नल्लू सिंहः**

**श्री रोड़मल नागरः**

**श्री पी. पी. चौधरी**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद से अब तक बैंकों में जमा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) बैंकों में जमा की गई उक्त धनराशि में से कितने करेंसी नोट नकली पाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त फर्जी करेंसी नोटों के संबंध में बैंकों, खाताधारकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नही, तो सरकार का इस संबंध में विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में क्या विचार/इरादा है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)**

**(क):** महोदय, दिनांक 8 नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार परिचालन में विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) का कुल मूल्य सत्यापन एवं मिलान के पश्चात 15,417.93 बिलियन था। परिचालन से वापस आए एसबीएन का कुल मूल्य 15,310.73 बिलियन है।

**(ख):** नवंबर 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान बैंकिंग प्रणाली में जमा किए गए एसबीएन में पता लगाई गई जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएम) की कुल संख्या 570753 नग है जिसमें से 287279 नग 500 रुपये मूल्यवर्ग से तथा 283474 नग 1000 रुपये मूल्यवर्ग से संबंधित हैं।

**(ग) से (ङ):** जाली करेंसी नोटों से संबंधित बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों पर की गयी कार्रवाई पर सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, बैंक के कर्मचारियों की तरफ से जब भी कोई अनियमितता पाई अथवा देखी जाती है तब बैंक उनके विद्यमान नियमों के अनुसार जहां भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श की आवश्यकता हो कार्रवाई शुरू करते हैं तथा बैंक के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार दुराचार की गंभीरता के आधार पर दोषी कर्मचारियों को दंड दिया जाता है।